राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

पत्र क्रमांक f 03 (106) खा.वि./स्था.मू./2025/ 03957 जयपुर, हस्ताक्षररित दिनांक

नियुक्ति आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्र क्रमांक प.1 (2) प्र.सु. / अनु.-3/2025-08916/ जयपुर दिनांक 02.07.2026 द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आवंटित कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थी (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर-ट्रेनी) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे-मेट्रिक्स लेवल-5 में अधोलिखित शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S.No.	RANK	ROLLNO	Candidate Name	Father Name	GENDER	Category	H_CAT	Sel_Cat
1	1867	453437	NENA RAM	PANNA RAM	MALE	OBC		GEN_A_WL

शर्ते:-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 03 सप्ताह के अन्दर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति प्रदान करनी होगी, जहां से उनके अग्रिम पदस्थापन आदेश जारी किये जावेगे एवं तदानुसार उनको अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 03 सप्ताह में उक्त पद का कार्यभार संभालने में कोई असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण एवं तथ्यों के साथ कारण स्पष्ट करते हुए नियुक्ति अधिकारी को कार्यभार संभालने की विलंबित अवधि से सूचित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी ओबीसी एसबीसी / जा.प्र.प./ सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11 (204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों / सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.07.14 15:34:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23341317

M e-Sign

4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
7. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा (केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड / निगम / स्वायत्तशासी संस्थान / सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) में कार्यरत है उन्हें लिपिक ग्रेडना के पद पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने / त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही राज्य सरकार द्वारा जारी विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें। उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी वर्तमान में राजकीय सेवा (केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड / निगम / स्वायत्तशासी संस्थान / सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) में कार्यरत है, को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व नियोक्ता द्वारा नियमानुसार जारी कार्यमुक्ति / त्याग पत्र स्वीकृति आदेश के साथ शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेडवा के पद पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होवें, कार्यमुक्ति / त्यागपत्र स्वीकृति का आदेश साथ में नहीं होने पर कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा। उक्त संबंध में यदि इस नियुक्ति आज्ञा में उल्लेखित दिनांक के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति / त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में, कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
8. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
9. पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
10. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 12 (6) एफडी/ रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/ रूल्स / 2005 दिनांक 13.03.2006, 1 (2) एफडी / रूल्स /2006 दिनांक 13.03.2006, 13 (1) एफडी/ रूल्स /2003 दिनांक 13.03. 2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
11. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। उक्त आधार पर अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवार्तीय होगी।
12. उक्त नियुक्ति चरित्र स्व-सत्यापन के संदर्भ में मूल शपथ पत्र, ऑनलाईन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं मूल स्व-घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रोविजनल दी जा रही है।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.07.14 15:34:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23341317

M e-Sign

13. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

14. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेडा/कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु आवंटित स्थायी योग्यता सूची के अनुसार योग्यता क्रम में अवधारित होगी अर्थात उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ अभ्यर्थी से पूर्व अथवा पश्चात् में कार्यग्रहण किये जाने की स्थिति में वरियता क्रम अप्रभावित रहेगा।

15. राज्य में अवस्थित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड / विश्वविद्यलय / संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत / उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की संबंधित बोर्डो / विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने / सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य / मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन रहेगी।

16. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

17. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस / फर्जी / मिथ्या पाये जाते है तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

18. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों / घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

19. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

20. उक्त चयनित अभ्यर्थियो के दस्तावेजों की जाँच विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.09.2025 के अनुसार की जायेगी।

21. उक्त चयनित अभ्यर्थियो के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

RajKaj Ref No.: 23341317
M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.07.14 15:34:49 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार |
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1 (2) प्र. सु. / अनु.-3/2025-08916 जयपुर दिनांक 02.07.2026 के क्रम में।
6. समस्त, अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें |
8. संस्थापन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
9. नवनियुक्त अभ्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि आप कार्यभार ग्रहण करने से संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज मय स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ प्रशासनिक विभाग में उपस्थित होवे।
10. सम्बंधित नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक
11. रक्षित पत्रिका |

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.07.14 15:34:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23341317

M e-Sign